न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 74/2020(RCMS 2020/00157)

प्रार्थीगण

1. भागीरथ पुत्र गिरधारीराम जाट निवासी नेहरू नगर, हुडिल तहसील नावां जिला नागौर, राज.

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अमरचन्द पुत्र श्रीचन्द
2. मगनी पुत्री श्रीचन्द
3. मंजू पुत्री श्रीचन्द
4. सजनी पुत्री श्रीचन्द
5. कमला देवी पत्नी श्रवणलाल
6. कैलाशचन्द पुत्र श्रवणलाल
7. रमेश पुत्र श्रवणलाल
8. शान्ति पुत्री श्रवणलाल
9. किरण पुत्री जीवणचन्द
10. गोविन्दराम पुत्र जीवणचन्द
11. ताराचन्द पुत्र जीवणचन्द
12. मुन्नी पत्नी जीवणचन्द
13. सुमन पुत्री जीवणचन्द
14. कौशल्या पत्नी हाथीराम
15. चांदमल पुत्र हाथीराम
16. जोरावरमल पुत्र हंसराज
17. किशोर पुत्र चिरंजीलाल
18. राजू पुत्री चिरंजीलाल
19. दमोरी पत्नी चिरंजीलाल नायक निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील कुचामनसिटी
20. पेफादेवी पत्नी जेठाराम जाति मेघवाल निवासी प्रेमपुरा तहसील कुचामनसिटी
21. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकतारी अधिनियम1955 251 (A)

उपस्थित – श्री हरदेवसिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 28.06.2021

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम प्रेमपुरा पटवार मण्डल शिव तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित लीजशुदा भूमि खसरा नम्बर 433/104 कुल रकबा 0.01572 हैक्टर की व मौजा ग्राम कांकोट के खसरा नम्बर 222/87 रकबा 0.8428 हैक्टर की आवेदक प्रार्थी की लीजशुदा आई हुई है, जिस पर आज दिन प्रार्थी चेजा पत्थर का खनन कार्य कर रहा है, आवेदक की लीजशुदा भूमि खसरा नम्बर 433/104 व खसरा नम्बर 222/87 आने–जाने के लिए एक मात्र रास्ता ग्राम कांकोट के खसरा नम्बर 86 रकबा 2.15 हैक्टर की पूर्वी सींव के सहारे–सहारे कटाणी रास्ते तक 5 मीटर चौड़ाई व 60 मीटर लम्बाई में

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

खसरा नम्बर 433/104, खसरा नम्बर 87 व खसरा नम्बर 104 में आने–जाने के लिए एवं खनन में निकाले गये पत्थरों के निर्गमन के लिए डम्पर एवं ट्रेक्टर आदि को लाने–ले जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता है इएलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मार्ग की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, चाहे गये मार्ग का नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " है, ग्राम प्रेमपुरा की राजस्व सीमा में आवेदन (प्रार्थी) के खसरा नम्बर 433/104 कुल रकबा 0.1572 हैक्टर लीजसुदा आया हुआ है, इस लीजशुदा क्षेत्र में आने जाने के लिए ग्राम प्रेमपुरा से ग्राम शिव आम रास्ते से आवेदक के लीजसुदा खसरा नम्बर 433/104 मे आने–जाने के लिए प्रार्थी के लीजसुदा क्षेत्र के उत्तर दिशा में स्थित ग्राम कांकोट के खसरा नम्बर 86 की पूर्वी सींव के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण 5 मीटर चौड़ा व 60 मीटर लम्बा रास्ता आने–जाने हेतु अत्यधिक आवश्यक है, पूर्व में इसी खेत खसरा नम्बर 86 मे से आवागमन व पत्थरों का निर्गमन ट्रेक्टरों व डम्परों से किया जाता था, परन्तु खेत खसरा नम्बर 86 के खातेदारान अप्रार्थीगण प्रार्थी के रास्ते को बन्द करने पर उतारू है, यदि अप्रार्थीगण द्वारा चिरकाल से चलते आ रहे रास्ते को बन्द कर दिया तो प्रार्थी के लीजशुदा क्षेत्र में आने–जाने एंव पत्थरों के निर्गमन के लिए ट्रेक्टर डम्पर आदि लाने ले जाने के लिए कोइ अन्य रास्ता नही है व परस्पर सहमति से खसरा नम्बर 86 के खातेदारान अप्रार्थी सं. 1 ता 20 रास्ता कटाणी करने को तैयार नही है, इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के लीजशुदा क्षेत्र में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, कटाणी रास्ते से सबसे नजदीक यही रास्ता पड़ता है,प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम कांकोट के खसरा नम्बर 86 में से परिशिष्ट " क " में मार्ग " A " से " C " व " D " से " F " दर्शाया गया है को मार्ग के रूप में उपलब्ध करवाया जाकर इस रास्ते के क्षेत्रफल की भूमि पर खसरा नं. 86 के खातेदार की खातेदारी निर्वसित घोषित कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख के रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावे, प्रार्थी निर्धारित मुआवजा राशि खसरा सं. 86 के खातेदारान अप्रार्थी 1 ता 20 को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सही रूप से तामिल नही होने से प्रार्थी के निवेदन पर जरिये अखबार स्याहा तलबी जारी की गई, अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी से मौका रिपोर्ट तलब की गई,जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से ग्राम प्रेमपुरा के खसरा नम्बर 433/104, कांकोट के खसरा नम्बर 222/87, 86 की चालू नकल जमाबंदी प्रस्तुत की। नकल खतौनी सम्वत 2067–2070 ग्राम प्रेमपुरा के खसरा नम्बर 433/104 रकबा 0.1572 हक्टैर गै.मु.पहाड़ भंवरलाल पुत्र दुड़ाराम जाट सा. अड़कसर चेजा पत्थर लीज हि. 11/07 से 20 वर्ष , लीज हस्तानान्तरण ना. सं. 304 दि. 14.03.14 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हस्तानानतरण पत्र भंवरलाल पुत्र दूड़ाराम की जगह भागीरथ पुत्र गिरधारीराम जाति जाट सा. नेहरू नगर हुडिल दर्ज किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 ग्राम कांकोट के खसरा नम्बर 222/187 रकबा 0.8428 हक्टैर गै.मु.मगरा भंवरलाल पुत्र दुड़ाराम जाट सा. अड़कसर चेजा पत्थर लीज हि. 8/07 से 20 वर्ष,लीज हस्तानान्तरण ना. सं. 229 दि. 14.03.14 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हस्तानानतरण पत्र भंवरलाल पुत्र दूड़ाराम की जगह भागीरथ पुत्र गिरधारीराम जाति जाट सा.

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नेहरू नगर हुडिल दर्ज किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम कांकोट के खसरा नम्बर 86 रकबा 2.15 हैक्टर में अमरचन्द पुत्र श्रीचन्द नायक वगैरह प्रेमपुरा खातेदार दर्ज है। तहसीलदार कुचामनसिटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ. / 1482 दिनॉक 29.12.2020 मौका रिपोर्ट दिनॉक 27.10.2020 प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। रिपोर्ट अनुसार ग्राम कांकोट के खसरा नमबर 222 / 87, 433 / 104 ग्राम प्रेमपुरा की भूमि के लीज धारक है, उक्त लीज भूमि में आवागमन के लिए कटाणी रास्ता राजस्व रेकर्ड दर्ज नही है, राजस्व रेकार्ड में ग्राम प्रेमपुरा के खसरा नम्बर 65 कटाणी रास्ता प्रेमपुरा से कांकोट सीमा तक जाता है, प्रार्थी भागीरथराम ने ग्राम कांकोट के खसरा नम्बर 86 में से बिन्दू संख्या ए से बी चालू है, जो राजस्व रेकार्ड दर्ज नही है, रास्ते के कुल भूमि 60 X 5 = 300 व.मी. होगी, खसरा नम्बर 86 के खातेदार चान्दमल पुत्र हाथीराम, कमला देवी, रमेश, मुन्नीदेवी ,ताराचन्द, गोविन्दराम वगैरह को फोन पर सूचना देने के बावजूद मौके पर उपस्थित नही हुए।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही है केवल मात्र उन्हे दूरभाष पर सूचना दी गई है, प्रार्थी को प्रश्नगत भूमि लीज पर उपलब्ध है जो कृषि योग्य भूमि के श्रेणी में नही आती है, राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये नियम 251 ए केवल कृषि जोत के उद्देश्य के लिए बनाये गये है, साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की परिभाषा निम्नवत परिभाषित की गई है :–

251–क :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – (1) जहां–

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है. या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा अपनी लीज सुदा भूमि में चेजा पत्थर, ट्रेक्टर, डम्पर इत्यादि हेतु लाने ले जाने हेतु रास्ता चाहा है। ऐसे चाहे गये रास्ते उपरोक्त नियमों की श्रेणी में नही आते है, उक्त नियम केवल कृषि भूमि के लिए बने है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी उक्त नियमो की श्रेणी के अन्तर्गत नही आने से खारिज योग्य पाया गया।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी उक्त नियमों के अन्तर्गत नही आने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 28/6/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)